37 शंका समाधान FAQ

Frequently Asked Question

Q.1 मैने NPS में रू. 50,000 का निवेश किया है तथा धारा 80 सी के तहत जीवन बीमा, प्राविडेंट फण्ड आदि में 1.5 लाख रू. का निवेश किया है मुझे कितने रू. की कटौति वर्ष 2016–17 में देय होगी ?

Ans. धारा 80 CCD 1(B) के तहत रू. 50,000 की तथा धारा 80 CCE के तहत 1.5 लाख रू. की, इस प्रकार वर्ष 2016–17 में कुल अधिकतम 2 लाख रू. की कटौति कर योग्य आय से प्राप्त की जा सकती है ।

Q.2 वर्ष 2016–17 में मेरी सकल आय 5,50,000 रू है तथा मैने 50,000 रू पी.पी.एफ. में जमा किया हूँ। तो क्या मुझे 5000 रू की आयकर मे छूट मिलेगी या नही ?

Ans. वित्तीय वर्ष 2016–17 से धारा 87 ए के तहत कुल करयोग्य आय 5 लाख रू तक हो तो 5000 रू के आयकर की छुट का प्रावधान है अतः छूट से प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी करयोग्य आय 5.5 लाख (–) 50,000 = 5 लाख है।

Q.3 मुझे वर्ष 2014–15में बैंक के बचत खाते से 15,000 रू. ब्याज प्राप्त हुआ है, क्या यह करयोग्य है ?

Ans. वित्तीय वर्ष 2012–13 से धारा 80 TTA के तहत बैंक/पोस्ट आफिस के बचत खातो से प्राप्त ब्याज 10,000 रू. तक की सीमा तक छूट योग्य होंगे। अर्थात 5,000 रू. पर टैक्स लगेगा।

Q.4 मेरे वर्ष 2014–15 में करयोग्य आय 5,50,000 थी तो मै रिटर्न कैसे भरूंगा ?

Ans. वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल करयोग्य आय 5 लाख से अधिक होने के कारण कर निर्धारण वर्ष 2015–16 एवं उसके बाद के वर्षों में भी आपको ई–रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। परन्तु आपको डिजिटल सिग्नेचर लेना अनिवार्य नही है।

Q.5 मै वेतन भोगी करदाता हूं, तथा गृह ऋण लिया हूं, करयोग्य आय रू. 5 लाख तक है तो क्या मुझे आइ टी आर 1 (सहज) में रिटर्न दाखिल करना होगा ?

Ans. जी नहीं, ऐसे कर्मचारी जिसको वेतन एवं ब्याज तथा एक मकान हाउसिंग लोन के ब्याज की छुट लेना है तथा उनकी करयोग्य आय रू. 5 लाख तक हो, तो उन्हे रिटर्न दाखिल करने से छूट मिलेगी। परन्तु यदि ऐसे कर्मचारियों को आयकर का रिफण्ड लेना हो तो रिटर्न दाखिल करना आवश्यक होगा।

Q.6 वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुझे रू. 6 लाख वेतन प्राप्त हुआ है तथा मैने एवं मेरे नियोक्ता ने 40,000 – 40,000 रू. नई पेंशन योजना में अलग अलग निवेश किया है, जो वेतन का 10 प्र.श. है, मैने रू. 1,50,000 पी.पी.एफ. में भी निवेश किया है। मुझे कुल कितनी आय पर कर देना होगा ?

Ans. वित्तीय वर्ष 2011–12 से आप नियोक्ता द्वारा नई पेंशन योजना में किए गए निवेश को रू. 40,000 को 1.5 लाख की सीमा के अतिरिक्त छूट हेतु दावा कर सकतें हैं अर्थात कुल आय 6 लाख + 40,000 = 6,40,000 में से 2,30,000 की कटौती मिलेगी। इस प्रकार आपकी कुल करयोग्य आय 4.1 लाख रू.होगी।

Q.7 छोटे व्यापारियो को आयकर में क्या छूट दी गई है ?

Ans. ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्न ओवर 2 करोड रुपये तक है उन्हे खर्च आदि का हिसाब किताब करने से राहत देते हुए अनुमानित आयकर योजना में कुल टर्न ओवर का 8 प्रतिशत आय मानते हुए आयकर की गणना करने का सरल प्रावधान दिया गया है । विस्तार पेज क्रं 36 मे देखे

Q.8 मैने अपने बच्चे की उच्च शिक्षा (B.Com) के लिए ऋण (Loan) लिया है, भुगतान किये गए ब्याज पर आयकर के क्या प्रावधान है ?

Ans. आयकर अधिनियम की धारा 80E में अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा (जैसे पूर्णकालिक इंजीनियरिंग मेंडिकल मैनेजमेंट साईंस मैनेजमेंट के ग्रेज्युएट तथा सांइंस गणित स्नातकोत्तर आदि) प्राप्त करने हेतु ऋणों पर दिए जाने वाले ब्याज के संबंध में कटौती की व्यवस्था है। इसकी सीमा का विस्तार किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 से स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद व्यावसायिक अध्ययनों सहित अध्ययन के किसी भी विषयों में उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋणों पर माता पिता को भी यह कटौती प्राप्त होगी।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:38 PM